

उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक D/3815 /
दो-14-9/83 भाग-17

जबलपुर, दिनांक 18/06/2018

श्री संजू यादव, सहायक ग्रेड-तीन, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खंडपीठ ग्वालियर को उपरोक्त शर्तों के अधीन "बरकतउल्ला यूनिवर्सिटी, भोपाल की शाखा नर्मदा महाविद्यालय होशंगाबाद से वर्ष 2018-19 में एम.कॉम चतुर्थ सेमेस्टर की दो प्रश्न पत्रों की परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति निम्नांकित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :-

1. यह कि साधारण तौर पर अध्ययन हेतु किसी प्रकार का अवकाश नहीं दिया जावेगा। अवकाश केवल परीक्षा की अवधि (परीक्षा के दिन) तक सीमित रहेगा। यदि परीक्षा स्थगित हो जाती है, तो अवकाश का उपभोग न कर स्वतः कार्य पर उपस्थित होना होगा, बिना पूर्वानुमति के अवकाश का उपभोग नहीं करेंगे।
2. कार्यालयीन समय में शासकीय कार्य को लगन से करना होगा, ताकि कार्य में व्यवधान न हो। यदि यह पाया गया कि वे शासकीय कार्य की अवहेलना करते हैं तो यह अनुमति किसी भी समय निरस्त की जा सकती है।
3. यह कि दोपहर के अवकाश के अलावा अपने स्थान पर न पाए गए तो यह अनुमति निरस्त कर दी जावेगी तथा आगामी तीन वर्षों के लिए अध्ययन हेतु अनुमति नहीं दी जावेगी।



(मो. फहीम अनवर)

रजिस्ट्रार जनरल

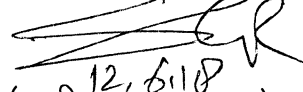
पृष्ठांकन क्रमांक D/3816 /
दो-14-9/83 भाग-17

जबलपुर, दिनांक 18/06/2018

प्रतिलिपि :-

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खंडपीठ ग्वालियर, नवीन उच्च न्यायालय भवन, सिटी सेंटर, ग्वालियर (म0प्र0) की ओर ज्ञापन क्रमांक 6035/स्था./83/परीक्षा स्था. ग्वालियर, दिनांक 13.09.2017 के संदर्भ में।
2. रजिस्ट्रार(प्रशा.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
3. रजिस्ट्रार आई.टी., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु,
4. अनुभाग अधिकारी स्थापना उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
5. सहायक स्थापना उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
6. श्री संजू यादव, सहायक ग्रेड-तीन, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खंडपीठ ग्वालियर,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।


12.6.18
(सतीश चन्द्र राय)

रजिस्ट्रार(प्रशासन)

Registrar (Administration)
High Court of Madhya Pradesh
Jabalpur